संख्या-234/2020/1500 /पांच-6-2020-03(निर्माण)/2019टी0सी0-1

प्रेषक

प्रांजल यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 2020

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष, 2020-21 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महुलानी, जनपद सिद्धार्थनगर के भवन निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-390/17फ/नि0नि0अ0/2020-21, दिनांक 15.10.2020 एवं शासनादेश संख्या-199/2019/1608/पॉच-6-19-03(निर्माण)/19, दिनांक 26.07.2019 एवं शासनादेश संख्या-217/2020/1277/पॉच-6-2020-03(नि0)/19टी0सी0-1, दिनांक 01.10.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 26.07.2019 द्वारा रूपये 138.31 लाख की मूल प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रूपये 69.15 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी तथा शासनादेश दिनांक 01.10.2020 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रूपये 189.55 लाख की केवल पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष, 2020-21 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महुलानी, जनपद सिद्धार्थनगर के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रूपये 189.55 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 37.91 लाख (सैंतीस लाख इक्यान्नवे हजार रूपये मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192-दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196-दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020, शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनांक 29.09.2020 तथा शासनादेश संख्या-199/2019/1608/पॉच-6-19-03(निर्माण)/19, दिनांक 26.07.2019 एवं शासनादेश संख्या-217/2020/1277/पॉच-6-2020-03(नि0)/19टी0सी0-1, दिनांक 01.10.2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/ प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
3. प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।
4. धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जाएगा। आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जाएगा। आहरित धनराशि किसी बैंक/डाक घर आदि में नहीं रखा जाएगा।
5. कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192-दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 के प्रतिबंधों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का होगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान संख्या-32 के " लेखाशीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-04-नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन (चालू अंश जिला योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29.09.2020 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
प्रांजल यादव
विशेष सचिव।

संख्या-234/2020/1500(1)/पांच-6-2020, तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. निदेशक (नियोजन/बजट/पी0एच0सी0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
7. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
9. प्रबन्ध निदेशक/संबंधित परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ/सिद्धार्थनगर।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्रांजल यादव
विशेष सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।